309 (14) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अतिरिक्त अवकाश की घोषणा

उपर्युक्त विषय पर मुझे, सचिव, स्कोप को संबोधित इस विभाग के दिनांक 14.10.1993 के अ.शा.पत्र सं. 1322/जे एस (एम)/93 की प्रति सूचनार्थ और मार्गदर्शन के लिए इस पत्र के साथ भेजने का निदेश हुआ है।

अतिरिक्त अवकाश के संबंध में 14 अक्तूबर, 1993 के अ.शा. पत्र सं. 1322/जे एस (एम)/93 की प्रति ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में अवकाश संबंधी केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल किए जाने अथवा शामिल न किए जाने के बारे में अपने तारीख 17.9.1993 के पत्र सं0 स्कोप–93/जी एच/1028 का अवलोकन करें। सामान्यतः केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचनाएं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं होती। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ही होते हैं। अतः सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधक इस विषय पर अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें केन्द्रीय सरकार की अवकाश पद्धति/समय–सूची का अनिवार्यतः अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं हैं वस्तुतः उक्त पत्र में दिया गया यह सुझाव कि अवकाश संबंधी मामले में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए, पहले से ही प्रभावी हैं यदि इस संबंध में कोई शंका हो ता आप सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को यह स्पष्ट करते हुए पत्र लिख सकते हैं कि जब तक विशेष रूप से उल्लेख न किया जाए तब तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयें/प्रतिष्ठानों में अवकाश संबंधी केन्द्र सरकार की अधिसूचना सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वयंमेव लागू नहीं होतीं तथापि, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्तूबर जैसे राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाने चाहिएं।

(लोक उद्यम विभाग का दिनांक 5.1.1994 का पत्र सं0 17(1)/90-जी एम)